

राजस्थान सरकार  
कार्यालय तहसीलदार, बारां  
जिला-बारां



\* जाति प्रमाण-पत्र \*

क्रमांक: RJ31/2014/Misc/Digital Caste (SC/ST)/3970

दिनांक 16-07-2014

प्रमाणित किया जाता है कि कुमारी SONAM MEENA पुत्री PREM SHANKAR MEENA गांव/नगर UTTAM COLONY BARAN जिला/डिवीजन बारां राज्य/संघ राज्य क्षेत्र राजस्थान में मीना (9) जाति/समुदाय का है जिसे निम्नलिखित के अनुसार अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है:-

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950, संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950, संविधान (अनुसूचित जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951, संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति सुधिया (संघोद्यन) आदेश 1955, सम्पूर्ण पुनर्गठन अधिनियम 1960, संजय पुनर्गठन अधिनियम 1965, सिमावत प्रदेश राज्य अधिनियम 1970, उत्तर पूर्वीय क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम 1971 और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संघोद्यन) अधिनियम 1976 द्वारा पश्चा संशोधित संविधान (जम्मू व कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश 1955, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संघोद्यन) अधिनियम, 1976 द्वारा पश्चा संशोधित संविधान (अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश 1959, संविधान (छाद्रा तथा बंगाल द्वीपीय) अनुसूचित जाति, आदेश 1962, संविधान (छाद्रा तथा बंगाल द्वीपीय) अनुसूचित जनजाति, आदेश 1962, संविधान (प्रदिपरी) अनुसूचित जाति आदेश 1964, संविधान अनुसूचित जनजाति (उत्तर प्रदेश) आदेश 1967, संविधान (गोआ, दमन तथा दीव) अनुसूचित जाति आदेश 1968, संविधान (गोआ, दमन तथा दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश 1968, संविधान (सागरतट) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970

श्री/श्रीमति/कुमारी SONAM MEENA गांव/नगर UTTAM COLONY BARAN जिला/डिवीजन बारां राज्य/संघ राज्य क्षेत्र राजस्थान में सामान्यतया रहता है।

नोट:

1. यहां प्रयोग साधारणतः निवासी का अर्थ वही होगा जो जन प्रतिनिधित्व 1950 की धारा 20 में है।
2. राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारीता विभाग की अधिसूचना सं एफ 21(37) एच जे ई /कम्प्यू /ई.जी./08-09/73710 दिनांक 30/12/2010 के द्वारा जाति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग की मान्यता प्रदान की गयी है।
3. उपरोक्त प्रमाण-पत्र कियोस्क द्वारा उपलब्ध कराये गये ई-दस्तावेजात के आधार पर जारी किया गया है। दस्तावेजात की प्रामाणिकता के सम्बन्ध में कोई विवाद होने पर प्रमाण-पत्र खारिज किया जा सकता है।
4. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गए मूल आवेदन पत्र एवं सम्बंधित दस्तावेजात जिले के सम्बंधित प्रदत्त अधिकारी जिसके हस्ताक्षर से यह जारी किया जायेगा के कार्यालय में निरीक्षण/परीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे।
5. यह प्रमाण-पत्र डिजिटल हस्ताक्षरित है। अतः सभी कार्यों के लिये मान्य है।
6. प्रार्थी को जारी किये गये प्रमाण-पत्र का सत्यापन [www.emitra.gov.in](http://www.emitra.gov.in) पर स्थित On-line Verification Section से ऑन-लाइन सत्यापित किया जा सकता है।

तहसीलदार, बारां

Signature valid

Digitally signed by  
DILIP SINGH  
PRADIPAT  
Date: 2014.07.16  
02:59:51  
Reason: ICM  
Location: Rajasthan



1431007510185013